रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II— खंड 3—उप खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1973/आश्विन 4, 1895

No. 236] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1973/ASVINA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 24th September 1973

G.S.R. 451(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) read with clause (h) of sub-rule (3), of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, and for securing the equitable distribution and availability of jute textiles at fair prices, hereby fixes the price mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this Order as the maximum ex-factory price at which the varieties of jute textiles mentioned in the corresponding entries in column (2) of the said schedule shall be purchased or sold during the month of September, 1973.

Provided that the price so fixed in respect of the variety of jute textiles mentioned in Serial No. 1 of the First Schedule appended to this Order shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) of the Second Schedule appended to this Order in respect of the minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the Second Schedule.

Provided further that the prices specified in this Order are liable to be revised and finally fixed at such rate as may be determined by the Central Government after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission and the price so finally fixed shall be the price at which the supplier is entitled to be paid for deiveries made in the month.

Explanation.—For the purposes of this Order, the price specified in the First or Second Schedule appended to this Order shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

2. Nothing in this Order shall apply to any quantity of jute textiles which may be exported during the month specified in paragraph 1 pursuant to any contract entered into before the commencement of this Order.

THE FIRST SCHEDULE

S. No.	Category of jute bags	Maximum ex-factory price
(1)	(2)	(3)
1.	Standard B. Twill bags of the size $43\frac{1}{2}'' \times 26\frac{1}{2}''$, WIP $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ HD $2\frac{1}{4}$ lbs. per bag, 6×8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS: 2566-1965 as amended upto-date).	Rs. 228·46 per 100 bags
2.	DW Flour Bags $43\frac{1}{2}'' \times 28''$ HD weight in proportion $56'' \times 28''$ HD, $2\frac{1}{4}$ lbs. per bag 7×9 or 8×8 plain dry sewn.	Rs. 207·84 per 100 bags.

THE SECOND SCHEDULE

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags	
	warp way	waft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard Breaking strength	160 *kg.* Rs.	165 *kg.* Rs.
160	..	0·55
155	0·39	1·02
150	1·06	1·50
145	1·62	2·11
140	2·24	3·42
135	2·86	4·26
130	3·42	..

[No. 18012/1/73-Tex(D)]

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

जी० एस० आर० 451 (अ).—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) के खण्ड (एच) के साथ पठित उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, ऐसी राय होने पर कि समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई तत्संबंधी सेवाओं को जारी रखने के उद्देश्य से और पटसन वस्त्रों के न्यायोचित वितरण और उचित मूल्यों पर उसकी उपलब्धि के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा, इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित मूल्य, ऐसे अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य के रूप में निश्चित करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के कालम 2 की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्में सितम्बर 1973 के मास में खरीदी या बेची जाएंगी।

परन्तु इस आदेश से संलग्न प्रथम अनुसूची की संख्या 1 में उल्लिखित पटसन के वस्त्रों की किस्म के बारे में इस प्रकार से निश्चित किए गए मूल्य को, इस आदेश से संलग्न द्वितीय अनुसूची के कालम (1) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम धारण क्षमता (बैंकिंग स्ट्रैंथ) के अनुसार उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम (2) या कालम (3) में बताई गई सीमा तक घटाया जायेगा ।

परन्तु आगे इस आदेश में निर्दिष्ट कीमतें संशोधित की जा सकती हैं और अंत में ऐसी दर निर्धारित की जाएगी जो कि टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाए तथा इस प्रकार अंतिम रूप से निर्धारित कीमत वह कीमत होगी जिस पर संभरक को उस माल में सुपुर्दगियों के लिए भुगतान प्राप्त करने का हक है ।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, इस आदेश से संलग्न प्रथम या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्यों में उत्पादन शुल्क और बिक्री कर शामिल नहीं है, जिन्हें खरीदार को ही, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर, एक्स-फैक्टरी मूल्य के अतिरिक्त अदा करना होगा ।

2. इस आदेश में दी हुई कोई भी बात पटसन वस्त्रों की ऐसी किसी भी मात्रा पर लागू नहीं होगी, जो इस आदेश के लागू होने से पहले किए गए किसी भी ठेके के अनुसरण में पैरा 1 में निर्दिष्ट मास के दौरान निर्यात की गई हो ।

प्रथम अनुसूची

क्रम सं०	पटसन के बोरों का दर्जा	अधिकतम एक्स-फैक्टरी मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	स्टैंडर्ड बी ट्विल, बोरे साइज 43.1/2" × 26.1/2" जिसका वजन 44" × 26.1/2" एच डी 2¼ पौंड प्रति बोरी 6 × 8, 3 ब्ल्यू, खुश्क-सिली हुई के अनुपात में हों और जो शेष सभी प्रकार के वर्तमान आई० एस० आई० की विशिष्टियों के अनुरूप हों (सं० आई० एस० 2566—1965 अद्यतन यथा संशोधित) ।	228.46 रुपये प्रति 100 बोरे
2.	डी० डब्ल्यू आर्ट के बोरे 43.1/2" × 28" एच० डी० अनुपात के अनुसार वजन, 56" × 28" एच० डी० 2 1/2 पौंड प्रति बोरा, 7 × 9 या 8 × 8 सादा, खुश्क सिला हुआ ।	207.84 रुपये प्रति 100 बोरे

द्वितीय अनुसूची

न्यूनतम धारण क्षमता (मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	प्रति 100 बोरों के मूल्य में कमी	
	(ताने में)	(बाने में)
1	2	3
आई० एस० एस० स्टैंडर्ड (ब्रेकिंग स्ट्रेंथ)	160 किलोग्राम	165 किलोग्राम
	रुपये	रुपये
160	..	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.42
135	2.86	4.27
130	3.42	..

[सं० 18012/1/73-टैक्स (डी)]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973